Form-A

न्यायालय में,

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–द्वितीय, बगहा, पश्चिम चम्पारण
उपस्थित–अविनाश कुमार
निर्णय की तिथि–03.06.2026
परिवाद वाद संख्या–793 / 2012

C.I.S. No.8504/2017

CNR No.- BRWC100098662017

परिवादी	सिंघासन राम पिता स्व0 भुखल राम साकिन–खटौरी, थाना–रामनगर, जिला–पश्चिम चम्पारण।
परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री प्रणव प्रकाश उदयनत, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी।
अभियुक्तगण	1. जमादार बैठा पिता स्व0 जोखु बैठा 2. चन्दा देवी पति जमादार बैठा 3. जलेखा देवी पति स्व0 जोखु बैठा सभी साकिन–खटौरी, थाना–रामनगर, जिला–पश्चिम चम्पारण।
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता	विद्वान श्री विनोद कुमार तिवारी

Form-B

घटना की तिथि	02.08.2012
परिवाद पत्र संस्थित करने की तिथि	04.08.2012
संज्ञान लेने की तिथि	16.08.2023
आरोप के गठन की तिथि	07.04.2018
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	08.10.2014
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	कुछ नहीं
निर्णय की तिथि	03.06.2026
दंडादेश का आदेश पारित करने की तिथि, यदि कोई हो	कुछ नहीं

Form-C

अभियुक्तगण का विवरण							
अभियुक्त का क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफतार होने की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोप की धाराएँ	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	दंडादेश	विचारण के दौरान निरोध की अवधि
1.	जमादार बैठा	22.04.2014	22.04.2014	धारा–341,323,380 भारतीय दंड विधान	दोषमुक्ति	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	जलेखा देवी	22.04.2014	22.04.2014	धारा–341,323,380 भारतीय दंड विधान	दोषमुक्ति	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	चन्दा देवी	22.04.2014	22.04.2014	धारा–341,323,380 भारतीय दंड विधान	दोषमुक्ति	कुछ नहीं	कुछ नहीं

परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
परिवादी साक्षी संख्या–1(CW-1)	महेश राम	स्वतंत्र साक्षी
परिवादी साक्षी संख्या–2(CW-2)	सुरेश राम	स्वतंत्र साक्षी

उपस्थित–अविनाश कुमार
अ.मु.न्या.दण्डा.द्वितीय
बगहा, पश्चिम चम्पारण
निर्णय की तिथि–03.06.2026

परिवाद वाद संख्या–793 / 2012
सी.आई.एस. न0 8504 / 2017
सिंघासन राम बनाम जमादार बैठा
विचारण संख्या–251 / 2026

परिवादी साक्षी संख्या–3(CW-3)	सिंघासन राम	परिवादी

परिवादिनी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	कुछ नही	कुछ नही

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1	कुछ नहीं	कुछ नहीं

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	कुछ नहीं	कुछ नहीं

न्यायालय प्रदर्श (Court Exhibit)

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	कुछ नहीं	कुछ नहीं

वस्तु प्रदर्श (Material Exhibit)

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	कुछ नहीं	कुछ नहीं

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त 1. जमादार बैठा 2. जलेखा देवी एवं 3. चन्दा देवी अपने उपर लगे आरोप अन्तर्गत धारा–341,323 एवं 380 भारतीय दंड विधान के तहत विचारण का सामना कर रहे है।

2. प्रस्तुत मामले को परिवाद पत्र दिनांक 04.08.2012 को दाखिल किया गया। दिनांक 16.08.2023 के आदेश अन्तर्गत धारा–341,323,380 भारतीय दंड विधान के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाते हुये परिवाद पत्र में नामित तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध आदेशिका निर्गत किया गया। दिनांक 07.04.2018 को तीनों अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–341,323,380 भारतीय दंड विधान के तहत आरोप का गठन किया गया। दिनांक 03.06. 2026 को उपरोक्त तीनों अभियुक्त का धारा–313(1)(बी) दण्ड प्रकिया संहिता के तहत बयान दर्ज किया गया। जिसमें सभी ने अपने को निर्दोष बताया।

3. संक्षेप में परिवाद पत्र में वर्णित किया गया है कि परिवादी अपने घर में लगे पानी को निकाल रहे थे कि उसी समय अभियुक्तगण जमादार बैठा लाठी निकालकर परिवादी के साथ गाली–गलौज करने लगा और बोला कि पानी मेरे घर के तरफ से क्यों निकाल रहे हैं। परिवादी बोला कि बरसात का पानी है। उसी पर अभियुक्त आग बबुला हो गए एवं अपने घर के सदस्यों को पुकारा लाठी, डंडा से मारपीट करने लगा। परिवादी के घर में घुसकर घर में रखा गेहूँ एवं चावल कीमत पैतीस सौ रूपया अभियुक्त संख्या–1 छिट दिया। परिवादी के गले से सोने की चैन कीमत पच्चीस हजार रूपया निकाल लिया। अभियुक्त संख्या–2 एवं 3 परिवादी के घर में रखा सुटकेस लेकर चला गया, जिसमें पच्चीस सौ रूपया नगद तथा अड़तीस हजार का कपड़ा लता एवं गहना था। परिवादी के द्वारा हल्ला करने पर सभी अभियुक्त भाग गए तथा धमकी दिया कि केस करोगें तो जान से मार देगें।

4. सुनवाई के अनुक्रम में परिवादी के पुत्र द्वारा एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया है कि प्रस्तुत वाद के परिवादी की मृत्यु हो चुकी है तथा परिवादी के पुत्र के द्वारा अभियुक्तगण के साथ संयुक्त रूप से निष्पादित सुलहनामा दाखिल किया गया है, जिसपर परिवादी के पुत्र के अंगुठे का निशान है। जो परिवादी साक्षी संख्या–2 है। इन्होंने अपने परीक्षण में अभियुक्तगण के साथ राजी–खुशी से सुलह करने के तथ्य को स्वीकार किया है। अभियुक्तगण के उपर आरोपित धारा–341,323,380 दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–320 के तहत शमनीय है। परिणामतः परिवादी के पुत्र सुरेश राम को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–320 के तहत अभियुक्त के साथ सुलह करने की अनुमति दी जाती है तथा अभियुक्तगण के उपर लगे आरोप अन्तर्गत धारा–323 एवं 341 भारतीय दण्ड विधान का शमन किया जाता है। अभियुक्तगण के उपर आरोपित धारा–380 भारतीय दण्ड विधान अशमनीय है, जिसकी विवेचना आगे की जा रही है।

5. प्रस्तुत मामले में मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि क्या परिवादी अभियुक्तगण के उपर लगे आरोप अन्तर्गत ध ाारा–380 भारतीय दण्ड विधान को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

मंतव्य

6. परिवादी अभियुक्तगण के उपर लगे आरोप अन्तर्गत धारा–380 भारतीय दण्ड विधान को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने हेतु आरोप पूर्व साक्ष्य के अनुक्रम में तीन मौखिक साक्षियों को प्रस्तुत किया है। परिवादी साक्षी संख्या–1 सिंघासन राम जो प्रस्तुत मामले का परिवादी है, इन्होंने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 6–7 वर्ष पहले रात्रि 8:00 बजे की है। तीनों अभियुक्त घर में आया और धान, गेहूँ ले जाने लगा मना किया तो मारपीट किया। इसी बात का गवाही दिया हूँ। विचारण के अनुक्रम में इस साक्षी की मृत्यु हो गई है। इस साक्षी के द्वारा दिये गए साक्ष्य से अभियुक्त के उपर लगे आरोप अन्तर्गत धारा–380 भारतीय दण्ड विधान साबित नहीं होती है। यह खासकर, तब जबकि परिवादी साक्षी संख्या–2 सुरेश राम जो परिवादी के पुत्र है तथा घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। इन्होंने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई समान चोरी नहीं किया गया था। मैं किसी को समान ले जाते नहीं देखा।

7. परिवादी साक्षी संख्या–1 महेश राम मुख्य परीक्षण में इन्होंने परिवाद पत्र में वर्णित तथ्य का समर्थन करते हुये बढ़ा–चढ़ाकर साक्ष्य दिया है, इस साक्षी को परिवादी की ओर से आरोप गठन के पश्चात प्रतिपरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। किसी साक्षी के द्वारा मुख्य परीक्षण में दिये गए साक्ष्य तथा स्वयं साक्षी के विश्वसनीयता की परख उसके प्रतिपरीक्षण से होती है, जिसके अभाव में साक्षी के विश्वसनीयता और उसके द्वारा दिये गए साक्ष्य की विश्वसनीयता कम हो जाती है जैसा कि प्रस्तुत मामले में परिवादी साक्षी संख्या–1 को प्रतिपरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में परिवादी साक्षी संख्या–1 के द्वारा दिया गया साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाता है।

8. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरांत न्यायालय पाती है कि परिवादी अभियुक्तगण के उपर लगे आरोप अन्तर्गत धारा–380 भारतीय दण्ड विधान को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। परिणामतः

आदेश

9. अभियुक्तगण 1. जमादार बैठा 2. जलेखा देवी एवं 3. चन्दा देवी को उसके उपर लगे आरोप अंतर्गत धारा–380 भारतीय दंड विधान के तहत दोषसिद्ध धारित नहीं किया जाता है तथा उपरोक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अतः अभियुक्तगण को जमानत के दायित्वों से तथा उसके प्रतिभूओं को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
मेरे द्वारा टंकित एवं शुद्धिकृत

Sd/-
(अविनाश कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–द्वितीय,
बगहा(पश्चिम चम्पारण)।
03.06.2026

Sd/-
(अविनाश कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–द्वितीय,
बगहा(पश्चिम चम्पारण)।
03.06.2026

निर्णय की तिथि	03.06.2026
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	कुछ नहीं
निर्णय अपलोड करने की तिथि	12.06.2026
अपलोड करने वाला	आशुलिपिक